



प्रेषक,

चिरौंजी लाल,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय,
उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 04 मई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत निम्नांकित मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-27/पर्या०/लेखा/2026-27, दिनांक 13.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय के अन्तर्गत **रु० 558.10 लाख**, अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435- परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04-प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत **रु० 317.60 लाख** एवं अनुदान संख्या-45-लेखाशीर्षक-3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण-04 प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण-104 प्रभाव निर्धारण-03-राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी के अन्तर्गत **रु० 70.00 लाख** अर्थात् **कुल रु० 945.70 लाख (रुपये नौ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- 1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उ०प्र० बजट मैनुअल / वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी / विभाग की पूर्वानुमति / सहमति लिया जाना अपेक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

हो, तो उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः नियमानुसार प्राप्त किया जाए। वस्तुओं का क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से प्रचलित नवीनतम वित्तीय नियमों के अधीन किया जाए। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनोदश संख्या-सी०ए०1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सी०ए०1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

- 2- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित / वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी समस्त वित्तीय नियमों / शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- 3- स्वीकृत धनराशि को किसी बैंक / डाक घर खाता / डिपॉजिट खाता अथवा पी.एल.ए. आदि में जमा नहीं किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि केवल चालू योजनाओं के लिए है, इसका व्यय नई मदों / सेवाओं पर कदापि न किया जाए।
- 4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य / मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य / मद हेतु किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित कार्यों की दिवरावृत्ति नहीं हो रही है।
- 5- इसके अतिरिक्त स्वीकृत धनराशि व्यय करते समय निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।
- 6- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-27/पर्या०/लेखा/2026-27, दिनांक 13.04.2026 में उपलब्ध करायी गयी सूचना / विवरण के आधार पर निर्गत की जा रही है। अतः किसी भी प्रकार की आंकिक त्रुटि हेतु निदेशक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय, उ०प्र० उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

लेखाशीर्ष: 3435040010300 (पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	01 वेतन	2,20,00,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख मात्र)
2	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	02 मजदूरी	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	03 मंहगाई भत्ता	1,43,00,000 (रुपये एक करोड़ तैंतालीस लाख मात्र)
4	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	04 यात्रा व्यय	3,25,000 (रुपये तीन लाख पच्चीस हजार मात्र)
5	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	75,000 (रुपये पचहत्तर हजार मात्र)
6	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	06 अन्य भत्ते	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
8	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
9	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	09 विद्युत देय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
10	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	10 जलकर / जल प्रभार	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
11	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
12	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
13	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	13 टेलीफोन पर व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9,00,000 (रुपये नौ लाख मात्र)
15	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
16	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
17	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	18 प्रकाशन	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
18	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	22 आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	29 अनुरक्षण	40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र)
20	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

21	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
22	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
23	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
24	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
25	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	49 चिकित्सा व्यय	12,00,000 (रुपये बारह लाख मात्र)
26	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
27	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	55 मकान किराया भत्ता	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

28	045	3435040010300 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी विज्ञान निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			5,58,10,000 (रुपये पाँच करोड़ अट्ठावन लाख दस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 3435040010400 (क्षेत्रीय कार्यालय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	01 वेतन	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
2	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	02 मजदूरी	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
3	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	03 मंहगाई भत्ता	97,50,000 (रुपये सत्तानबे लाख पचास हजार मात्र)
4	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	04 यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
5	045	3435040010400	05	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		क्षेत्रीय कार्यालय	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	)
6	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	06 अन्य भत्ते	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
7	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	07 मानदेय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
8	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	08 कार्यालय व्यय	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
9	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	09 विद्युत देय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
10	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
12	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	13 टेलीफोन पर व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)
13	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

			पेट्रोल आदि की खरीद	)
14	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	17 किराया, उपशुल्क और कर- स्वामिस्व	7,00,000 (रुपये सात लाख मात्र)
15	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	18 प्रकाशन	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
16	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	42 अन्य व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
17	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
18	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
20	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
21	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	49 चिकित्सा व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

22	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	51 वर्दी व्यय	20,000 (रुपये बीस हजार मात्र)
23	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	55 मकान किराया भता	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
24	045	3435040010400 क्षेत्रीय कार्यालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
	कुल			3,17,60,000 (रुपये तीन करोड़ सत्रह लाख साठ हजार मात्र)

लेखाशीर्षः 3435041040300 (राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल
इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	045	3435041040300 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी	42 अन्य व्यय	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)
2	045	3435041040300 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं स्टेट लेवल इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट अथारिटी	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	35,00,000 (रुपये पैंतीस लाख मात्र)

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	कुल			70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
--	-----	--	--	---

महायोग	9,45,70,000 (रुपये नौ करोड़ पैंतालीस लाख सत्तर हजार मात्र)
--------	---

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चिरौंजी लाल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- स्टेट स्कीम मैनेजर (श्रीमती नीरजा सक्सेना, विशेष सचिव), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 6- नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।